Delay in Power Projects in Uttar Pradesh

1337. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that fate of eight power projects cleared during the President Rule in U.P. hangs in balance due to inordinate delays in their finalisation by the U.P. Government;

(b) if so, whether Government have taken up the matter with U.P. Government to ascertain the reasons for delay;

(c) if so, what are the details of the reasons stated by the State Government; and

(d) what is the reaction of Government of India in this regard thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विद्युत के पारेषण में होने वाली क्षति के संबंध में तुलनात्मक प्रतिशतता

1338. **श्री नागमणि:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश में विद्युत के पारेषण तथा वितरण में विद्युत क्षति का प्रतिशत पड़ौसी देशों की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत क्षति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) विद्युत क्षति के प्रतिशत को कम करने के मार्ग में क्या बाधाएं आ रही हैं; और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत में पारेषण एवं वितरण हानियां निम्नवत रहीं:

बंगलादेश	—	39.09
नेपाल	—	29.38
पाकिस्तान	—	20.32
श्रीलंका	—	18.26
भारत	—	21.80

(ग) देश में पारेषण एवं वितरण हानियों की स्थिति में सुधार लाने में ये बाधाएं आ रही हैं:—

(i) कमजोर एवं अपर्याप्त उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली का होना;

(ii) देश में अत्यधिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप सहायक पारेषण तथा उप-पारेषण प्रणाली को सशक्त बना; बिना लम्बी लाइनों तथा वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाना;

(iii) अत्यधिक रूपान्तरण अवस्थाओं के परिणामस्वरूप पारेषण हानियों के घटकों में वृद्धि होना;

(iv) अनुचित भार प्रबन्धन के कारण प्रणाली पर अधिक भार पड़ना;

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग लोड तथा शहरी क्षेत्रों में एअरकंडिशनरों, कूलरों तथा औद्योगिक लोडों और लोडिंग बिन्दुओं पर अपर्याप्त प्रतिकारक, प्रतिपूर्ति के कारण न्यून वैद्युत घटक;

(vi) निर्माण कार्यों की अन्य गुणवत्ता तथा उपस्करों का अपर्याप्त रखरखाव किया जाना;

(vii) कुछ राज्यों में कृषिगत पम्पों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए अमीटरीकृत विद्युत आपूर्ति किया जाना; और

(viii) ऊर्जा की चोरी व दुरुपयोग किया जाना।

(घ) तकनीकी पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए के०वि०प्रा० ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं:—

(क) प्रचालक बोल्टता को बढ़ाना;

(ख) एल टी लाइनों की लम्बाई में कमी लाना;

(ग) भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मरों को स्थापित करना;